

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राणा प्रताप सिंह

बनाम

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एवं अन्य

2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 24888

25 अप्रैल 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णन्दु सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव डालेगा?

हेडनोट्स

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972—धारा 4, 5, 6 और 14—उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010—नियम 67, 72—ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान न करना—याचिकाकर्ता को कदाचार के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया—परिमाणित हानि के अभाव में और कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना, बैंक ने याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण देने से इनकार कर दिया।

निर्णय: अधिनियम, 1972 कारखानों, खदानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बंदरगाहों, रेलवे कंपनियों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान की योजना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। बैंक द्वारा याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, जो ग्रेच्युटी की राशि वसूलने या रोकने का कोई निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करने के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। विवादित पत्र और गणना चार्ट को रद्द किया जाता है। बैंक ने याचिकाकर्ता को अवकाश नकदीकरण प्रदान करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

रिट याचिका को निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है।(कंडिका 20, 27, 29, 30, 33)

न्याय दृष्टान्त

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम सी.जी. अजय बाबू एवं अन्य, (2018) 9 एससीसी 529; चेयरमैन एवं एमडी, यूको बैंक बनाम शंभू शरण सिंह, 2013 (2) पीएलजेआर 866; वाई.के. सिंगला बनाम पंजाब नेशनल बैंक, (2013)3 एससीसी 472—पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972; उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010

मुख्य शब्दों की सूची

ग्रेच्युटी; कारण बताओ; प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत; अवकाश प्राप्ति।

प्रकरण से उत्पन्न

बैंक द्वारा याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान करने से मना कर दिया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता के लिए: श्री ज्ञान प्रकाश, अधिवक्ता।

यू.बी.जी.बी. के लिए: श्री प्रभाकर झा, अधिवक्ता; श्री शंकर कुमार झालर, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.24888

राणा प्रताप सिंह, पिता-स्वर्गीय गुडरूई दयाल सिंह, निवासी गाँव-उत्तर बड़ी ताला सुरसंद
उत्तरी, थाना-सुरसंद, जिला-सीतामढ़ी-843331।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अपने अध्यक्ष और अन्य के माध्यम से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक।
2. अध्यक्ष-सह-अनुशासनात्मक प्राधिकरण, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, कलमबाग चौक,
मुजफ्फरपुर।
3. महाप्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, कलमबाग चौक, मुजफ्फरपुर।

... .. उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश, अधिवक्ता
यू.बी.जी.बी.के लिए	:	श्री प्रभाकर झा, अधिवक्ता
		श्री शंकर कुमार झालर, अधिवक्ता

समक्ष : माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेन्दु सिंह

मौखिक निर्णय

तारीख : 25-04-2023

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञान प्रकाश और उत्तर
बिहार ग्रामीण बैंक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभाकर झा को सुना।

2. याचिकाकर्ता ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान न किए जाने

से व्यथित है और इसके हकदार होने के लिए उन्होंने निम्नलिखित राहत के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की है:

"I. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर के महाप्रबंधक द्वारा जारी पत्र सं.एच.ओ/डी.ए.डी./10/17-18/सं.272 दिनांक 25.09.2017 को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति की एक रिट जारी करने हेतु, जिसके द्वारा उन्होंने याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश की राशि के भुगतान से इनकार कर दिया है और उसे शाखा प्रबंधक की हैसियत से बैंक को वित्तीय नुकसान पहुँचाने के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया है, जो न केवल दिनांक 04.01.2012 के दंड आदेश, बैंक सेवा से बर्खास्तगी के विपरीत है, बल्कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 के विनियम 39(1)(बी)(v) के अनुसार भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता होगी, साथ ही निमो डेबिट बिस वेक्सारी और ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत के भी विरुद्ध है।

II. यह मानते हुए कि एक बार बैंक ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 के विनियम 39(1)(बी)(v) के तहत विभागीय कार्यवाही के माध्यम से याचिका पर दंड दिया है, जो बैंक सेवा से बर्खास्तगी है, जो सामान्यतः भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता होगी क्योंकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा बैंक को हुई कोई आर्थिक हानि नहीं पा सके और अब बैंक के महाप्रबंधक बाद में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिए गए और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए गए दंड के विपरीत कोई अन्य दंड नहीं दे सकते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) का उल्लंघन होगा

III. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ प्रबंधक, सेवानिवृत्ति लाभ

विभाग द्वारा जारी पत्र सं. टी.बी.सी./08/2015-16/281 दिनांक 14.05.2015 को निरस्त करने के लिए एक उत्प्रेषण पत्र जारी करने हेतु, जिसमें उन्होंने यह माना है कि याचिकाकर्ता उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 के विनियम 67 के प्रावधानों के अंतर्गत उपार्जन अवकाश का हकदार नहीं है।

IV. उत्तरदाताओं को विभागीय कार्यवाही के अनुसार ग्रेच्युटी एवं अर्जित अवकाश की राशि का भुगतान करने का आदेश देने वाले निर्देश जारी करने के लिए, चूंकि याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बैंक को हुई किसी भी आर्थिक हानि के लिए दंडित नहीं किया गया है।

V. किसी भी अन्य राहत के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता के मामले के तथ्यों में हकदार हो सकता है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय को सूचित किया कि याचिकाकर्ता ने पहले सी.डब्ल्यू.जे.सी सं. 8748/2014 दायर की थी, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित राहत मांगी थी:-

"1..... उत्तरदाताओं को ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करने का निर्देश/निर्देशों जो उत्तरदाताओं द्वारा बिना किसी तुक या कारण के रोक दी गई है और याचिकाकर्ता के दिनांक 30.01.2014 के अभ्यावेदन के आलोक में एक नया आदेश पारित करने के लिए भी जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि उत्तरदाताओं द्वारा उसके साथ घोर भेदभाव किया गया है।

4. उक्त रिट याचिका का निपटारा करते समय, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

"8. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के लिए

अब बैंक के अधिकारियों को याचिकाकर्ता के उस अभ्यावेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश देना मुश्किल होगा, जिसे पहले ही खारिज कर दिया गया है। वास्तव में, बैंक की ऐसी कार्रवाई में इस न्यायालय द्वारा कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, खासकर जब पक्षकार ऊपर दर्ज अंतरपक्षीय निर्णय से बंधे हों।

9. इससे इस न्यायालय को ग्रेच्युटी के भुगतान के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार मिल जाएगा।

10. इस संबंध में श्री राँय का तर्क यह है कि यदि याचिकाकर्ता को बैंक की सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित भी किया गया था, तो भी बैंक को याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करने से इनकार करने का अधिकार नहीं था। हालाँकि, बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने बैंक के सेवा नियम के एक विशिष्ट प्रावधान का हवाला दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बैंक के किसी कर्मचारी के मामले में, यदि उसे सेवा से बर्खास्त करने का दंड दिया जाता है, तो वह ग्रेच्युटी के भुगतान का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार, बैंक के नियमों के मद्देनजर, इस न्यायालय के लिए याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी के भुगतान का निर्देश देना कठिन होगा।

11. याचिकाकर्ता के समूह बीमा और अवकाश नकदीकरण की राशि के भुगतान के शेष दावे के संबंध में, यह न्यायालय केवल यह टिप्पणी कर सकता है कि यदि याचिकाकर्ता ने बैंक की समूह बीमा योजना में एक निश्चित राशि का योगदान दिया है, तो ऐसी राशि याचिकाकर्ता को वापस कर दी जानी चाहिए, यदि याचिकाकर्ता से कोई राशि वसूल नहीं की जा सकती है, क्योंकि बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता समूह बीमा और अवकाश नकदीकरण की राशि के लिए पात्र हो

सकता है, लेकिन फिर भी बैंक द्वारा याचिकाकर्ता से हुई हानि की राशि वसूलने का आदेश है।

12. चूँकि, वसूली के संबंध में भी दंड का वह आदेश अंतिम हो गया है, इसलिए यह न्यायालय केवल यह कह सकता है कि याचिकाकर्ता को देय समूह बीमा और/या अवकाश नकदीकरण की कोई भी राशि, दंड आदेश के अनुसार बैंक को हुए नुकसान की राशि को समायोजित करने के बाद ही दी जाएगी।

13. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय बैंक को यह भी निर्देश देगा कि वह अपने स्वयं के सेवा कानून के अनुसार अवकाश नकदीकरण और समूह बीमा देने के याचिकाकर्ता के दावे की सख्ती से जांच करे, लेकिन इस संबंध में जो भी निर्णय लेना है, वह इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर लिया जाना चाहिए।

5. उक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने के लिए लेटर पेटेंट अपील सं.1229/2015 प्रस्तुत की थी। खंडपीठ ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमन, 2010 (जिसे आगे 'विनियमन' कहा जाएगा) के नियम 72 के प्रासंगिक प्रावधान का समुचित विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए आदेश पारित किया था:-

“इसलिए, हम उत्तरदाता-बैंक को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वह यह आदेश पारित करे कि क्या अपीलकर्ता की बर्खास्तगी का आधार बने कदाचार के कृत्य से बैंक को कोई वित्तीय नुकसान हुआ है और वह भी किस सीमा तक। यदि वित्तीय नुकसान की सीमा देय ग्रेच्युटी की राशि से अधिक है, तो ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। लेकिन, यदि वित्तीय नुकसान की राशि ग्रेच्युटी की राशि से कम है, तो शेष राशि याचिकाकर्ता को देय

होगी।”

6. खंडपीठ के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध, उत्तरदाता-बैंक ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (दिवानी) डायरी सं. 36183/2017 दायर की थी, जिसे दिनांक 08.12.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञान प्रकाश ने दलील दी कि "ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972" (जिसे आगे 'ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972' कहा जाएगा) के प्रावधान पर न तो एकल न्यायाधीश ने और न ही खंडपीठ ने विचार किया। ये आदेश ग्रेच्युटी के प्रावधान और कथित कदाचार के संबंध में बैंक के नियमों को ध्यान में रखते हुए पारित किए गए थे। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ता जुर्माने के आदेश की वैधता या औचित्य पर विचार नहीं करेगा, हालाँकि, उन्होंने दलील दी कि बैंक के प्राधिकार ने बैंक के नियमों और धारा 4, विशेष रूप से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की उप-धारा 5 और 6 के प्रावधानों के तहत निर्धारित तरीके से कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 14 बैंक के विनियमन पर अध्यारोही प्रभाव प्रदान करती है, जहाँ तक विनियमन 72 का संबंध है, यह वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक होगा। बैंक द्वारा 25 सितंबर, 2017 के पत्र में प्रदान किया गया गणना चार्ट केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उप-धारा 5 और 6 के प्रावधानों के अनुसार, ग्रेच्युटी जब्त करने का निर्णय लेने से पहले, न्यूनतम कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक है और ऐसा न किए जाने पर, उत्तरदाता बैंक की कार्रवाई अधिनियम 1972 के वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है। वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार उत्तरदाता बैंक को वित्तीय हानि का आकलन करना आवश्यक है, हालाँकि, 04.01.2012 के दंड आदेश में उक्त तथ्य का आकलन नहीं किया गया है। इस तथ्य पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया है और ऐसी चूकों को, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सी.डब्ल्यू.जे.सी सं. 23383/2012 की सुनवाई के समय और

साथ ही खंडपीठ के समक्ष भी इंगित नहीं किया जा सका, जिसने 2012 की सी.डब्ल्यू.जे.सी सं. 23383 वाली रिट याचिका में पारित दिनांक 08.01.2013 के आदेश की पुष्टि की है। रिट याचिका और 2013 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 752 को खारिज कर दिया गया था।

8. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम सी.जी. अजय बाबू एवं अन्य (2018) 9 एससीसी 529** में दर्ज मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया है। उन्होंने दलील दी कि विशिष्ट विनियमन के बजाय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 को अपनाया है। उन्होंने आगे दलील दी कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कर्मचारी की बर्खास्तगी किसी ऐसे कार्य या जानबूझकर की गई चूक या लापरवाही के कारण हुई है जिससे नियोक्ता को कोई नुकसान या हानि हुई है या नियोक्ता की संपत्ति नष्ट हुई है, ग्रेच्युटी से हुए नुकसान की वसूली जब्ती के माध्यम से की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने द्विपक्षीय समझौते और उप-धारा 5 और 6 के प्रावधानों का समुचित विश्लेषण करने के बाद ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उप-धारा 5 और 6 के प्रावधानों का विश्लेषण किया है। यह कानून बनाया है कि सेवा से बर्खास्तगी पर ग्रेच्युटी की जब्ती स्वतः नहीं होती है और यह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उप-धारा 5 और 6 के अधीन है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 10.10.2022 के निर्णय/आदेश का हवाला देते हुए अपने पक्ष का समर्थन किया। यह निर्णय **डब्ल्यू.पी.एस.सं.503/2020 (सियाराम बसंती बनाम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एवं अन्य)** में पारित किया गया था। इन पृष्ठभूमियों में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले उन्हें अवसर न देने की बैंक की कार्रवाई कानून की दृष्टि में योग्य नहीं है और तदनुसार, वे 25 सितंबर, 2017 के पत्र सं. 272 को रद्द करने की मांग करते हैं, साथ ही बैंक को हुए नुकसान का आकलन करने वाले

चार्ट को भी रद्द करने की मांग करते हैं।

10. विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि जहाँ तक अवकाश नकदीकरण के भुगतान का संबंध है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसकी अनुमति दी गई है और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंततः पुष्टि की गई है। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए विशिष्ट आदेश और अभ्यावेदन के बावजूद, प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता को अवकाश नकदीकरण का भुगतान नहीं किया है। अवकाश नकदीकरण के भुगतान के लिए भी विद्वान अधिवक्ता ने *सी.जी. अजय बाबू (ऊपर)* मामले में पारित निर्णय के कंडिका संख्या 17 और 19 का हवाला दिया है।

11. *इसके विपरीत*, उत्तरदाता-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफाकर झा ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने अपने अधिकार का त्याग कर दिया है क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा की गई अवैधता के संबंध में जो तर्क और प्रस्तुतियाँ दी गई हैं, वे न तो एकल न्यायाधीश के समक्ष और न ही खंडपीठ के समक्ष उठाई गई थीं, जब उन्होंने सीडब्ल्यूजेसी सं.23383/2012 और लेटर्स पेटेंट अपील सं. 752/2013 दायर की थी, जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया था। चूँकि दंड का आदेश अंतिम हो चुका है, इसलिए वर्तमान कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और प्रतिवादी-बैंक द्वारा ग्रेच्युटी रोकने के संबंध में की गई कार्रवाई में इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

12. उन्होंने आगे दलील दी कि विनियमन 2010 के विनियमन 72 के साथ-साथ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उप-धारा 5 और 6 में निहित प्रावधान केवल रोजगार के दौरान नैतिक अधमता से जुड़े अपराध को प्रतिबंधित करते हैं। बैंक के विनियमन 2010 के विनियमन 72 का प्रावधान एक बर्खास्त कर्मचारी के संबंध में भी प्रावधान करता है। याचिकाकर्ता उत्तरदाता बैंक में शाखा प्रबंधक के जिम्मेदार पद पर था।

उसके खिलाफ आरोप साबित हुए। पाया गया कि उन्होंने चिकित्सा अवकाश पर रहते हुए 41 लाख रुपये की बड़ी राशि ऋण के रूप में वितरित की थी और याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी की सजा दी गई थी, जो उसे इस न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रेच्युटी का हकदार नहीं बनाती। प्राधिकारियों ने लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1229/2015 में खंडपीठ द्वारा की गई टिप्पणी का अनुपालन किया है जहाँ तक बैंक को हुए वित्तीय नुकसान और देय ग्रेच्युटी की सीमा का प्रश्न है, यह पहले ही पूरा हो चुका है और याचिकाकर्ता को एक चार्ट प्रदान किया जा चुका है। यह पाया गया है कि नुकसान की राशि याचिकाकर्ता को देय ग्रेच्युटी की राशि से कहीं अधिक है।

13. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि जहाँ तक अवकाश नकदीकरण के भुगतान का संबंध है, नियमन 2010 के नियम 67 में प्रावधान है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु होने पर या बैंक की सेवा में न रहने पर सभी छुट्टियाँ समाप्त हो जाएँगी। प्रावधान स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता सेवा से बर्खास्तगी के बाद अवकाश नकदीकरण का हकदार नहीं है। उपरोक्त तर्क के आधार पर, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जाना उचित है।

14. पक्षों को सुना।

15. बर्खास्तगी के आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा 2012 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 23383 में चुनौती दी गई थी और बर्खास्तगी के आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता 2014 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 8748 में इस न्यायालय के समक्ष आया है जिसमें याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत (ओं) के लिए अनुरोध किया था:

"1..... उत्तरदाताओं को निर्देश कि वे ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करें जिसे उत्तरदाताओं द्वारा बिना किसी कारण के रोक लिया गया है और साथ ही याचिकाकर्ता के दिनांक 30.01.2014 के अभ्यावेदन के

आलोक में एक नया आदेश पारित करें जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि उत्तरदाताओं द्वारा उनके साथ घोर भेदभाव किया गया है।

16. उक्त रिट याचिका का निपटारा दिनांक 17.03.2015 के आदेश द्वारा किया गया, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों पर चर्चा करने के बाद अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आदेश पारित किए:-

“....इस मामले को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय बैंक को यह भी निर्देश देगा कि वह अपने स्वयं के सेवा कानून के अनुसार अवकाश नकदीकरण और समूह बीमा देने के याचिकाकर्ता के दावे की सख्ती से जांच करे, लेकिन इस संबंध में जो भी निर्णय लेना है, वह इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर लिया जाना चाहिए।

17. विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1229/2015 दायर की थी और याचिकाकर्ता की अपील को इस सीमा तक संशोधित किया गया था कि प्रतिवादी-बैंक को यह आदेश पारित करना आवश्यक था कि क्या अपीलकर्ता के कदाचार के कृत्य, बर्खास्तगी के आधार से बैंक को कोई वित्तीय हानि हुई है और किस सीमा तक वास्तविक वित्तीय हानि या तो देय ग्रेच्युटी की राशि से अधिक, या फिर ग्रेच्युटी या हानि से कम पाई गई है। अधिनियम में प्रावधान है कि यदि वित्तीय हानि ग्रेच्युटी की राशि से कम है, तो शेष राशि अपीलकर्ता को देय होनी चाहिए।

19. वर्तमान रिट याचिका में यह प्रश्न उठता है कि क्या उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 के नियम 39(1)(बी)(v) और नियम 72 का हवाला देते हुए उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी न देना उचित है।

20. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 कारखानों, खदानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बंदरगाहों, रेलवे कंपनियों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के

भुगतान की योजना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। इसकी धारा 5 उपयुक्त सरकार को अधिसूचना द्वारा और अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, किसी भी प्रतिष्ठान को छूट देने का अधिकार देती है।

21. याचिकाकर्ता इस हद तक उचित है कि बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देने वाले अभ्यावेदन दायर करते समय और साथ ही रिट कोर्ट में मांगी गई राहत सीडब्ल्यूजेसी सं. 8748/2014 में, याचिकाकर्ता ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया था, जिसका अधिनियम की धारा 14 के आधार पर अधिभावी प्रभाव है, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है:-

“14. अधिनियमों आदि को अधिरोहित करने के लिए- इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधान प्रभावी होंगे इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम में या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम के आधार पर लिखत या अनुबंध में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

22. सर्वोच्च न्यायालय ने **वाई.के. सिंगला बनाम पंजाब नेशनल बैंक (2013)3 एससीसी 472** में इस मुद्दे का निपटारा किया। निम्नलिखित कंडिकाओं में यह निर्णय दिया गया है:-

“22. यह निर्धारित करने के लिए कि अपीलकर्ता के दावे के निर्धारण के लिए दोनों में से कौन सा प्रावधान (ग्रेच्युटी अधिनियम या 1995 विनियम) लागू होगा, ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 14 का संदर्भ लेना भी आवश्यक है, जिसका उद्धरण नीचे दिया जा रहा है:

14. अन्य अधिनियमों को अधिरोहित करने के लिए अधिनियम-इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के

प्रावधान, इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम के आधार पर प्रभावी किसी भी साधन या अनुबंध में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे। (जोर दिया गया)।

धारा 14 के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों को किसी अन्य अधिनियम (किसी अन्य उपकरण या अनुबंध सहित) की तुलना में उच्च दर्जा दिया गया है जो इससे असंगत है। इसलिए, जहाँ तक किसी कर्मचारी के ग्रेच्युटी के अधिकार का संबंध है, यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जहाँ किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत विनियमित नहीं है, विधानसभा ने ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों को अन्य सभी उपबंधों/अधिनियमों (कानून का बल रखने वाले किसी भी उपकरण या अनुबंध सहित) पर श्रेष्ठता प्रदान की है, ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। शब्द "साधन" और वाक्यांश "कानून का बल रखने वाला साधन या अनुबंध" में निश्चित रूप से 1995 के विनियम शामिल माने जाएँगे, जो अपीलकर्ता को ग्रेच्युटी के भुगतान को विनियमित करते हैं।

24. इसके अलावा, ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 14 के अधिदेश से, यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य है कि ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य प्रावधान या साधन में किसी भी असंगति के संदर्भ में अधिभावी प्रभाव डालेंगे।

23. वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते कि प्रतिवादियों को छूट नहीं दी गई है। इस प्रकार, 1972 के अधिनियम के

प्रावधान लागू होते हैं।

24. इस पृष्ठभूमि में, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 की प्रासंगिक उप धारा (5) और (6) लागू होती हैं और इसे अन्य बातों के साथ-साथ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“(5) इस धारा की कोई भी बात किसी कर्मचारी के किसी भी पुरस्कार या नियोक्ता के साथ समझौते या अनुबंध के तहत उपदान की बेहतर शर्तें प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

(6) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, -

(क) किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी, जिसकी सेवाएँ किसी कार्य, जानबूझकर की गई चूक या लापरवाही के कारण नियोक्ता की संपत्ति को कोई नुकसान या हानि पहुँचाने या नष्ट करने के कारण समाप्त की गई हैं, उस नुकसान या हानि की सीमा तक जब्त कर ली जाएगी।

(ख) किसी कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त किया जा सकता है] -

(i) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएँ उसके उपद्रवी या अव्यवस्थित आचरण या उसकी ओर से हिंसा के किसी अन्य कृत्य के कारण समाप्त कर दी गई हों, या

(ii) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएँ किसी ऐसे कार्य के लिए समाप्त कर दी गई हैं जो नैतिक अधमता से संबंधित अपराध हैं, बशर्ते कि ऐसा अपराध उसके द्वारा अपने रोजगार के दौरान किया गया हो।”

25. विचारणीय बिंदु यह है कि क्या उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमन, 2010, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव डालेगा।

26. सर्वोच्च न्यायालय ने *यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य तथा सी.जी.*

अजय बाबू एवं अन्य (2018) 9 एससीसी 529 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"17. यद्यपि अपीलकर्ता बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी कर्मचारी का आचरण, जिसके कारण विभागीय कार्यवाही में आरोप तय किए गए हैं, नैतिक अधमता से संबंधित है, हमें डर है कि इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह नैतिक अधमता से जुड़े किसी व्यक्ति का आचरण नहीं है जो ग्रेच्युटी जब्त करने के लिए आवश्यक है, बल्कि आचरण या कार्य नैतिक अधमता से जुड़ा एक अपराध होना चाहिए। अपराध होने के लिए, कार्य को कानून के तहत दंडनीय बनाया जाना चाहिए। यह पूरी तरह से आपराधिक कानून के दायरे में है। यह तय करना बैंक का काम नहीं है कि कोई अपराध किया गया है या नहीं। यह अदालत का काम है। अपीलकर्ता बैंक द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा, बैंक ने एफआईआर दर्ज करके या आपराधिक शिकायत दर्ज करके आपराधिक कानून को लागू नहीं किया है ताकि यह स्थापित हो सके कि बर्खास्तगी का कारण बनने वाला कदाचार नैतिक अधमता से जुड़ा एक अपराध है। अधिनियम की उप-धारा (6)(ख)(ii) के अंतर्गत, ग्रेच्युटी की जब्ती केवल तभी स्वीकार्य है जब किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति किसी ऐसे कदाचार के लिए हो जो नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध हो, और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा तदनुसार दोषी ठहराया गया हो।

18. जसवंत सिंह गिल बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड [जसवंत सिंह गिल बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, (2007) 1 एससीसी 663 : (2007) 1 एससीसी (एल एंड एस) 584] में, इस न्यायालय ने यह माना

है कि उप-धारा (6)(बी)(ii) के तहत ग्रेच्युटी को पूर्णतः या आंशिक रूप से जब्त करना केवल तभी स्वीकार्य है जब सेवा समाप्ति उपद्रव या अराजक आचरण या हिंसा के किसी अन्य कृत्य के कारण हुई हो या किसी ऐसे कृत्य के कारण हुई हो जो नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध हो, जब उसे दोषी ठहराया गया हो।

“13. अधिनियम में ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक समेकित योजना का प्रावधान है। यह एक पूर्ण संहिता है जिसमें विस्तृत प्रावधान हैं जो ग्रेच्युटी के लिए एक योजना के आवश्यक प्रावधानों को कवर करती हैं। यह न केवल ग्रेच्युटी के भुगतान का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि इसके परिमाणीकरण के सिद्धांतों और उन शर्तों को भी निर्धारित करता है जिन पर उसे इससे वंचित किया जा सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (6) में उपधारा (1) के संबंध में एक गैर-बाधक खंड शामिल है। चूँकि इसके कारण, किसी अर्जित या निहित अधिकार को वापस लेने की मांग की जाती है, इसलिए इसके तहत निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए, इसमें निहित प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (6) का खंड (क) किसी भी कार्य, जानबूझकर की गई चूक या लापरवाही के कारण किसी भी तरह की क्षति होने पर किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने की बात करता है। हालाँकि, ज़ब्त की जाने वाली राशि केवल हुई क्षति या हानि की सीमा तक ही होगी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने हानि या क्षति का परिमाण निर्धारित नहीं किया है। यह नहीं पाया गया कि प्रतिवादी 1 को हुई क्षति या हानि अपीलकर्ता को देय उपदान की राशि से अधिक थी। अधिनियम

की धारा 4 की उपधारा (6) के खंड (ख) में उपदान की पूरी राशि या आंशिक राशि जब्त करने का भी प्रावधान है, यदि उसकी सेवाएँ उसके दंगा या अव्यवस्थित आचरण या किसी अन्य हिंसात्मक कृत्य के कारण समाप्त कर दी गई हों या उसे नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। इसमें निर्धारित शर्तें भी पूरी नहीं होती हैं।”

19. वर्तमान मामले में, उत्तरदाता को कदाचार के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है जो बैंक के अनुसार एक नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है। इसलिए, 20-4-2004 के आदेश में बताए गए इस आधार पर ग्रेच्युटी जब्त करने का कोई औचित्य नहीं है कि "आपके खिलाफ साबित किया गया कदाचार नैतिक अधमता से जुड़े कृत्यों के बराबर है"। अनावश्यकता के जोखिम पर, हम यह कह सकते हैं कि कानून की आवश्यकता नैतिक अधमता से जुड़े कृत्यों के कदाचार का प्रमाण नहीं है, बल्कि ये कृत्य नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध होना चाहिए और ऐसे अपराध को अदालत में विधिवत सिद्ध किया जाना चाहिए।

27. पूर्वगामी तथ्यों और कानून के तय किए गए सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को कोई सूचना नहीं दिया गया है, जो बिना किसी संदेह के, कोई भी निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करने के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। सी. जी. अजय बाबू (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून याचिकाकर्ता के तर्क का समर्थन करता है।

28. इस न्यायालय की खंडपीठ ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूको बैंक बनाम शंभू शरण सिंह, 2013 (2) पीएलजेआर 866 में रिपोर्ट किए गए मामले में भी आदेश पारित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल है:-

“5. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता की

सेवा अनुशासनात्मक आधार पर समाप्त नहीं की गई थी। सेवानिवृत्ति पर वह ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त करने का हकदार था। ग्रेच्युटी की राशि रोकने की बैंक की कार्रवाई स्पष्ट रूप से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 और धारा 14 का उल्लंघन थी।

29. तदनुसार, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक के हस्ताक्षर से दिनांक 25 सितंबर, 2017 को जारी पत्र संख्या 272 में उत्तरदाता बैंक द्वारा किया गया पत्र, गणना चार्ट सहित, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों और बैंक विनियमन 2010 के प्रावधानों का पालन न करने के कारण रद्द किया जाता है।

30. जहाँ तक अवकाश नकदीकरण के भुगतान का संबंध है, विनियमन के नियम 67 में अवकाश समाप्ति के संबंध में प्रावधान है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु होने पर या यदि वह बैंक की सेवा में नहीं रहता है, तो सभी अवकाश समाप्त हो जाएँगे। हालाँकि, बैंक ने सीडब्ल्यूजेसी सं. 8748/2014 में पारित दिनांक 17.03.2015 के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता को अवकाश नकदीकरण प्रदान करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जिसकी पुष्टि इस न्यायालय की खंडपीठ ने लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1229/2015 में की है। बैंक ने दिनांक 17.03.2015 के आदेश के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया था। जहाँ तक अवकाश नकदीकरण और समूह बीमा का मामला है, निर्णय उत्तरदाता-बैंक द्वारा लिया जाना आवश्यक है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि उत्तरदाताओं द्वारा आज तक याचिकाकर्ता को अवकाश नकदीकरण के भुगतान के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

31. उपरोक्त तथ्य पर विचार करते हुए, प्रतिवादी-बैंक को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

32. उत्तरदाता- बैंक को याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देना चाहिए

और बैंक के विनियमन, 2010 के प्रावधानों के साथ-साथ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों और सी.जी. अजय बाबू (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी विचार करना चाहिए।

33. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(पूर्णन्दु सिंह, न्यायमूर्ति)

नीरज/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।